भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2727

सोमवार, 12 मार्च, 2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम

अता.प्र.सं. 2727. **श्री अनुराग सिंह ठाकुरः**
श्री के. सी. वेणुगोपालः
श्री बैजयंत जे पांडाः
डॉ.उदित राजः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के प्रारंभ से अब तक सरकार द्वार पंजीकृत और समर्थित स्टार्टअप की संख्या कितनी है और इस संबंध में अब तक प्राप्त की गई सफलता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार स्टार्टअप हेतु विद्यमान नियमों में कोई परिवर्तन करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में स्टार्टअप्स को उनके परिचालनों हेतु संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करने में सक्षम बनाने हेतु एक ऋण गारंटी निधि योजना सहित कतिपय योजनाएं प्रारंभ करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना के नियम व शर्तें क्या हैं और देश में स्टार्टअप्स को दी जा रही अन्य वित्तीय समर्थन और प्रोत्साहन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने हेतु अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सी. आर. चौधरी)

(क): 'स्टार्टअप इंडिया' पहल के तहत सरकार द्वारा इसकी शुरूआत के बाद से 7837 स्टार्टअप्स को मान्यता दी गई है। उपलब्धियों का विवरण अनुबंध-I पर है।

(ख): सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए नियामक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए कई सुधार किए हैं। ये अनुबंध-II पर उपलब्ध हैं। तथापि, वर्तमान में स्टार्टअप के लिए मौजूदा नियमों में बदलाव करने के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग): स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना तैयार करने के संबंध में सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

नवाचार संचालित उद्यमों के विकास के लिए 10,000 करोड़ की समग्र निधि सहित स्टार्टअप्स (एफएफएस) के लिए निधियों के कोष की स्थापना की गई है। आज तक, एफएफएस के लिए कुल 600 करोड़ रुपये की राशि सिडबी को जारी की गई है। सिडबी ने 24 वैकल्पिक निवेश फंड्स (एआईएफ) को 1050.7 करोड़ रुपये और 17 एआईएफ के लिए 122.86 करोड़ रुपये वितरित किए हैं, जिन्होंने 109 स्टार्टअप में 517.92 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

आयकर अधिनियम की धारा 80 आईएसी के तहत कुल 87 स्टार्टअप्स को कर छूट दी गई है। इसके अलावा, 768 स्टार्टअप्स को पेटेंट फाइलिंग फीस में 80% छूट सुविधा प्रदान की गई है। 858 स्टार्टअप्स ने ट्रेडमार्क फाइलिंग शुल्क में 50% छूट का लाभ उठाया है।

(घ): स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को अनुबंध-I में सूचीबद्ध किया गया है।

****

अनुबंध -I

लोक सभा में दिनांक 12.03.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2727 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत उपलब्धियां

सरलीकरण और हैंडहोल्डिंग

1. स्व-प्रमाणन आधारित अनुपालन व्यवस्था

- 'श्वेत' श्रेणी में 36 उद्योगों की सूची को सीपीसीबी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। सीपीसीबी ने 'श्वेत' श्रेणी में शामिल सभी उद्योगों को स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना में सूचीबद्ध 3 पर्यावरण अधिनियमों के तहत सभी लागू स्व-प्रमाणनों से छूट दी है।
- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने स्टार्टअप को अपरेंटिसशिप अधिनियम 1961 की अपरेंटिसशिप नियमावली,1992 के साथ स्व-प्रमाणन अनुपालन की अनुमति देने के लिए परामर्शिका जारी की है।
- छ: श्रम कानूनों के तहत स्टार्टअप्स को स्व-प्रमाणन की अनुमति दी गई है; 26 राज्यों ने श्रम और रोजगार मंत्रालय (एमओएलई) द्वारा दिनांक 12.01.2016 को जारी परामर्शिका और 6.04.17 को जारी नई परामर्शिका के अनुपालन की पुष्टि की है।

2. मोबाइल ऐप एवं पोर्टल की शुरुआत

- निम्नलिखित तक पहुंच स्थापित करने के लिए स्टार्टअप पोर्टल का विकास किया गया है:
- स्र्टाटअप मान्यता - 6 मार्च, 2018 तक 7837 स्टार्टअप्स को मान्यता प्रदान की गई है।
- स्टार्टअप्स के लिए विज्ञापन स्थान
- जानकारी एवं विकास मॉड्यूल - 1,97,000 पंजीकरण प्राप्त हुए हैं।
- यह पोर्टल स्टार्टअप इंडिया पहल से संबंधित सभी प्रश्नों के लिए एक ही स्थान पर समाधान उपलब्ध कराने का कार्य करता है।
- प्रयोक्ताओं को त्वरित सेवाएं और जानकारी उपलब्ध कराने के लिए स्टार्टअप इंडिया मोबाइल ऐप का विकास किया गया है।

3. स्टार्ट अप इंडिया हब

- स्टार्टअप इंडिया हब द्वारा 84,000 से अधिक प्रश्नों का समाधान किया गया है।
- इन्क्यूबेशन और निधीयन सहायता के लिए 460 से अधिक स्टार्टअप्स को परामर्श दिया गया है।
- इस हब में फरवरी, 2018 तक 30,000 से अधिक पंजीकरण प्राप्त हुए हैं।

4. कम लागत पर कानूनी सहायता और शीघ्र पेटेंट जांच

- पेटेंट एवं व्यापार चिह्न के लिए फाइल दायर करने हेतु स्टार्टअप्स की सहायता के लिए पेटेंट एवं डिजाइन के लिए 423 सहायकों और व्यापार चिह्न आवेदनों के लिए 596 सहायकों का पैनल गठित किया गया है।
- पेटेंट शुल्कों पर 80% तक की छूट के लिए 768 आवदेन प्राप्त हुए हैं तथा कानूनी सहायता भी प्राप्त की गई है।
- स्टार्टअप्स के लिए पेटेंट फाइलिंग को त्वरित किया गया है और तनदुसार 126 स्टार्टअप्स को सुविधा प्रदान की गई है।
- जनवरी, 2018 तक व्यापार चिह्न सुविधा 858 स्टार्टअप्स को उपलब्ध कराई गई है।

5. स्टार्टअप्स के लिए सार्वजनिक अधिप्राप्ति के मानदंडों में छूट

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा अधिप्राप्ति नीति में सूक्ष्म, लघु एवं अन्य उद्यमों के लिए मानदंडों में छूट का प्रावधान किया गया है।
- सभी केंद्रीय मंत्रालय/ विभाग/ सार्वजनिक उद्यम विभाग/ केंद्रीय सार्वजननिक क्षेत्र उपक्रम सभी सार्वजनिक अधिप्राप्तियों में एमएसई के संबंध में पूर्व अनुभव और पूर्व कारोबार की शर्त से छूट दे सकते हैं जो गुणवत्ता और तकनीकी विशेषताओं कों पूरा करने के अध्यधीन है।
- इसके अतिरिक्त, नियम 173 (i) को जीएफआर, 2017 में शामिल किया गया है जो पूर्व कारोबार की शर्तों और स्टार्टअप के लिए पूर्व अनुभव से छूट प्रदान करता है, और

- जीएफआर 2017 के नियम 170 (I) को 25 जुलाई 2017 को संशोधित कर दिया गया है, जिसमें डीआईपीपी से मान्यता प्राप्त सभी स्टार्टअप्स को सार्वजनिक खरीद निविदाओं में बयाना जमा/बोली सुरक्षा जमा करने से छूट प्रदान की गई है।

6. स्टार्टअप्स के लिए त्वरित निकासी

- दिवाला और दिवालियापन बोर्ड का गठन किया गया है
- एमसीए ने 16.6.2017 को फास्ट ट्रैक प्रक्रिया से संबंधित दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की संबंधित धारा 55 से 58 को अधिसूचित किया है और यह भी सूचित किया है कि यह प्रक्रिया डीआईपीपी द्वारा परिभाषित रूप में स्टार्टअप (साझेदारी फर्म के अलावा) पर लागू होगी। स्टार्टअप के लिए, दिवालियापन रिजोल्यूशन प्रक्रिया को 90 दिनों के भीतर और अन्य संस्थाओं के लिए 180 दिनों में पूरा किया जाएगा।

निधियन सहायता एवं प्रोत्साहन

7. 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ निधियों के कोष (एफएफएस) के जरिए निधीयन सहायता

- दो वित्त आयोग कार्यकालों, जो 2025 तक है, में 10,000 करोड़ रूपए की निधि जारी की जाएंगी ।
- वित्तीय वर्ष 2016 में सिडबी को 500 करोड़ रुपए जारी किए गए तथा वित्त वर्ष 2017 में 100 करोड़ रूपये जारी किए गए हैं।
- एफएफएस के तहत 24 वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के लिए कुल 1050.7 करोड़ रूपये प्रदान करने की प्रतिबद्धता है जबकि एआईएफ द्वारा आहरण हेतु 122.86 करोड़ रूपये का प्रावधान है।
- एफएफएस के तहत 109 स्टार्टअप्स को वित्त-पोषण के लिए 517.92 करोड़ रुपये का उत्प्रेरित निवेश प्राप्त हुआ है

8. पूंजीगत लाभों पर कर छूट

- वित्त अधिनियम, 2016 के अंतर्गत धारा 54 ईई शामिल की गई है जिसके तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी निधि में निवेश की गई दीर्घकालिक पूंजीगत परिसंपत्ति के अंतरण के कारण हुए पूंजीगत लाभ (एक वित्त वर्ष में 50 लाख रूपए से अधिक नहीं) पर कर में छूट का प्रावधान किया गया है।
- आवासीय घर अथवा एक आवासीय भूमि के प्लॉट की बिक्री के कारण हुए पूंजीगत लाभ पर कर में छूट यदि निवल प्रतिफल की राशि पात्र स्टार्टअप्स के इक्विटी हिस्से में निवेश की गई है जिसका उपयोग विशिष्ट परिसम्पत्ति की खरीद के लिए होता है, के प्रावधान के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 जीबी में संशोधन किया गया है।

9. 3 वर्ष के लिए स्टार्टअप्स को कर छूट

- सटार्टअप्स यदि 1 अप्रैल 2016 और 31 मार्च 2019 के बीच शामिल किए गए हैं तो 7 वर्ष के ब्लॉक में 3 वर्ष के लिए आयकर छूट का लाभ लेने के लिए स्टार्टअप्स (कंपनियों और एलएलपी) के लिए प्रावधान किया गया है।
- कर लाभ प्राप्त करने के लिए 87 स्टार्टअप्स को मंजूरी दी गई है

10. उचित बाजार मूल्य से अधिक निवेश पर कर छूट

- **एजेंल कर हटाना**

  14 जून 2016 से उचित बाजार मूल्य से अधिक के निवेश पर कर छूट की शुरुआत की गई है।

उद्योग-शिक्षा जगत सहभागिता तथा इन्क्यूबेशन

11. अटल नवप्रयोग मिशन(एआईएम) की शुरुआत

- टिंकरिंग लैब्स स्थापित करने के लिए 941 विद्यालयों का चयन किया गया है और 374 टिंकरिंग लैब्स हेतु प्रत्येक के लिए 12 लाख रूपये संवितरित किए गए हैं।

12. इन्क्यूबेटर सेटअप के लिए निजी क्षेत्र विशेषज्ञता का दोहन

- नीति आयोग द्वारा छह मौजूदा इन्क्यूबेटरों के लिए 2.5 करोड़ रूपये प्रत्येक को बढ़ा हुआ अनुदान मंजूर किया गया है।
- नीति आयोग द्वारा निधियन सहायता हेतु 13 नए इन्क्यूबेटर अनुमोदित किए गए हैं।

13. राष्ट्रीय संस्थानों में नवप्रयोग केंद्रों का निर्माण

- 15 स्टार्टअप केंद्रों को संयुक्त रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) और मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा स्थापित करने हेतु अनुमोदित किया गया है।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 10 स्टार्टअप केंद्रों को अनुदान की प्रथम किस्त के रूप में 37.50 लाख रूपए (प्रत्येक 10 स्टार्टअप केंद्रों के लिए 3.75 लाख रूपए) की राशि जारी की गई है।
- 11 टीबीआई (प्रौद्योगिकी व्यवसाय इन्क्यूबेटर्स) को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है और 42 करोड़ रूपये स्वीकृत किए गए हैं जिसमें से 17 करोड़ रूपये संवितरित किए जा चुके हैं।

14. आईआईटी मद्रास में रिसर्च पार्क सेट-अप मॉडल के आधार पर 7 नए रिसर्च पार्कों की स्थापना करना

- आईआईटी खड़गपुर में 100 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन है और 74.83 करोड़ रुपये आईआईटी खड़गपुर को जारी कर दिए गए हैं।
- आईआईटी मुंबई में 100 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन है और 34 करोड़ रुपये आईआईटी मुंबई को जारी कर दिए गए हैं।
- आईआईटी गांधीनगर में रिसर्च पार्क को डीएसटी द्वारा 90 करोड़ रुपये की कुल लागत पर मंजूरी दे दी गई है और विभाग ने पहले ही 40 करोड़ रुपये की किश्त संवितरित कर दी है।
- आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी हैदराबाद और आईआईएससी में 5 और रिसर्च पार्कों को 3 वर्ष की अवधि के लिए 375 करोड़ रुपये के बजट के साथ अनुमोदित किया गया है जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सहयोग दिया जाएगा।

15. जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना

- जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने प्रत्येक बायो इन्क्यूबेटर के लिए बायोटेक इक्विटी फंड के तहत 1 करोड़ रूपए स्वीकृत किए हैं। इस पहल से पहले ही 3 बायो-इन्क्यूबेटर्स को सहायता दी गई है जिनका उपर्युक्त उल्लिखित इक्विटी फंड के प्राप्तकर्ता के रूप में चयन किया गया है।
- 30 बायो-इन्क्यूबेटर्स को मंजूर 185 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता दी गई है तथा 119 करोड़ रूपये वितरित किए गए हैं। इसका बहुआयामी प्रभाव पड़ा है क्योंकि 290 स्टार्टअप्स ने विभिन्न कार्यक्रमों यथा जैव-प्रौद्योगिकी इग्निशन अनुदान, आईआईपीएमई, स्पार्श, ग्रैंड चैलेंजेज, बायोनेस्ट आदि के अंतर्गत इन बायो-इन्क्यूबेटर्स से लाभ प्राप्त किए हैं।
- बेंगलुरु-बोस्टन बायोटेक गेटवे टू इंडिया के संबंध में: 4 उद्यमी शामिल हुए हैं और 1 उद्यमी विचारों का आदान-प्रदान करने और मेंटरशिप के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अमरीका जा रहा है।

16. छात्रों के लिए नवप्रयोग केंद्रित कार्यक्रमों का शुभारंभ

(क) 5 लाख विद्यालयों से 10 लाख नवप्रयोग केन्द्रों तक सुगम्यता के साथ अभिनव कोर कार्यक्रम

- 4 क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन और पुनर्संरचित **मानक** (राष्ट्रीय आकांक्षा और ज्ञान को बढ़ाते लाखों बुद्धिमान) का अनुमोदन।
- जिला और राज्य स्तर पर 1 लाख से अधिक **इंस्पायर** (प्रेरित अनुसंधान हेतु विज्ञान कार्यों में अभिनवप्रयोग) प्रतिस्पर्धागत पुरस्कार।
- दिल्ली में 6वीं राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी और परियोजना प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 588 लोगों का चयन किया गया।
- 4-10 मार्च 2017 तक राष्ट्रपति भवन में अभिनवप्रयोग के वार्षिक महोत्सव में शीर्ष 60 परियोजनाओं का प्रदर्शन किया गया।

(ख) **निधि** (नवाचार के विकास और दोहन के लिए राष्ट्रीय पहल) – ग्रैंड चैलेंज कार्यक्रम
- 19 नए टीबीआई की स्थापना
- सीड सपोर्ट सिस्टम (एसएसएस) के लिए 9 टीबीआई को सहायता
- 10 **निधि–प्रयास** (युवाओं को प्रोत्साहित करना और उन्नत प्रौद्योगिकी उद्यमियों को प्रोत्साहित करना) तथा 10 निधि-ईआईआर (आवास में उद्यमी) स्वीकृत।
- वित्त वर्ष 2017-18 में सीओई के लिए निधि प्राप्त करने के लिए उत्कृष्टता के 6 नए केंद्रों (सीओई) की सिफारिश की गई है।

(ग) उच्चतर अविष्कार योजना (यूएवाई)
- 2016-18 के लिए 475 करोड़ रुपये 3 वर्ष की अवधि के लिए नियत
- आईआईटी से 6 डोमेन के अंतर्गत अनुसंधान प्रस्तावों के लिए 75 करोड़ रुपये का संवितरण किया गया है।
- स्वीकृति के लिए 92 परियोजनाओं की सिफारिश की गई है।

17. अन्य प्रोत्साहन:

- स्टार्टअप्स के लिए विदेशी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) दिशानिर्देश: स्टार्टअप्स न्यूनतम तीन वर्ष की औसत परिपक्वता अवधि के लिए, प्रति वित्तीय वर्ष 3 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा समतुल्य तक, रुपए अथवा किसी परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा अथवा दोनों में, उधार ले सकते हैं।
- विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों (एफवीसीआई) को अब भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के बिना किसी भी क्षेत्र में स्टार्टअप्स में निवेश की अनुमति है।
- सेबी (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियमावली, 2014 में संशोधन किया गया है ताकि एफपीआई को गैर-सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों और प्रतिभूतित ऋण साधनों में निवेश की अनुमति दी जा सके।
- सेबी बोर्ड ने 'एजेंल निधि' के संबंध में सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियमावली, 2012 में पांच मुख्य संशोधनों को अनुमोदित किया है:

o एक योजना में एजेंल निवेशकों की संख्या की ऊपरी सीमा को उनचास से बढ़ाकर दो सौ कर दिया गया है।
o एजेंल निधि को पांच वर्ष के भीतर निगमित स्टार्टअप्स में निवेश की अनुमति दी जाएगी, जो पहले 3 वर्ष थी।
o एजेंल निधि द्वारा किसी उद्यम पूंजी उपक्रम में न्यूनतम निवेश राशि को 50 लाख से घटाकर 25 लाख कर दिया गया है।
o एजेंल निधि द्वारा किसी उद्यम पूंजी उपक्रम में निवेश की अवरुद्धता अवधि को तीन वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर दिया गया है।
o एजेंल निधि को अन्य एआईएफ के अनुरूप विदेशी उद्यम पूंजी उपक्रम में अपनी निवेश योग्य निधि का 25% तक निवेश करने की अनुमति है।

****

लोक सभा में दिनांक 12.03.2018 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2727 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध- II

स्टार्टअप्स हेतु किए गए नियामक सुधार

1. स्व-प्रमाणन आधारित अनुपालन व्यवस्था

- श्रम और रोजगार मंत्रालय (एमओएलई) द्वारा दिनांक 12.01.2016 को छः श्रम कानूनों के तहत स्व-प्रमाणन आधारित अनुपालन व्यवस्था के लिए सभी राज्यों को एक सलाह जारी की है।

- एमओएलई ने स्व-प्रमाणन के आधार पर अनुपालन के कार्यकाल में 3 से 5 वर्ष तक की वृद्धि की है और दिनांक 6.4.2017 को राज्यों के लिए एक नई सलाह जारी की है। 6 श्रम कानूनों के संबंध में स्टार्टअप को 3 साल की अवधि के लिए स्व-प्रमाणन अनुपालन की अनुमति दी है।

- दिनांक 5.3.2016 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की वेबसाइट पर "श्वेत" श्रेणी में 36 उद्योगों की सूची प्रकाशित की गई है। श्वेत श्रेणी के तहत इकाइयों को 3 वर्षों के लिए 3 पर्यावरण संबंधी अधिनियमों के तहत पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी।

2. कम लागत पर कानूनी सहायता और शीघ्र पेटेंट जांच

- नए पेटेंट नियम, 2016 के तहत स्टार्टअप अपने पेटेंट आवेदनों की त्वरित परीक्षा के लिए पात्र हैं। स्टार्टअप्स को त्वरित परीक्षा के लिए 80% से अधिक शुल्क छूट प्रदान की गई है, पेटेंट आवेदन फाइल करने के लिए 80% शुल्क छूट और ट्रेडमार्क फाइलिंग शुल्क में 50% छूट प्रदान की गई है ।

3. स्टार्टअप के लिए सार्वजनिक अधिप्राप्ति के मानदंडों में छूट

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा दिनांक 10.3.2016 को अधिप्राप्ति नीति में सूक्ष्म, लघु एवं अन्य उद्यमों के लिए मानदंडों में छूट का प्रावधान किया गया है।

- सभी केंद्रीय मंत्रालय/ विभाग/ सार्वजनिक उद्यम विभाग/ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम सभी सार्वजनिक अधिप्राप्तियों में एमएसई के संबंध में पूर्व अनुभव और पूर्व कारोबार की शर्त से छूट दे सकते हैं जो गुणवत्ता और तकनीकी विशेषताओं कों पूरा करने के अध्यधीन है।

- इसके अतिरिक्त, नियम) 173i) को जीएफआर, 2017 में शामिल किया गया है जो पूर्व कारोबार की शर्तों और स्टार्टअप के लिए पूर्व अनुभव से छूट प्रदान करता है और जीएफआर 2017 के नियम 170 (i) को 25 जुलाई 2017 को संशोधित किया गया है जिससे डीआईपीपी से मान्यता- प्राप्त सभी स्टार्टअप्स को सार्वजनिक खरीद निविदाओं में बयाना जमा/बोली सुरक्षा जमा से छूट दी गई है।

4. स्टार्टअप के लिए त्वरित निकासी

- दिवाला और दिवालियापन बोर्ड का गठन किया गया है। एमसीए ने 16.6.2017 को फास्ट ट्रैक प्रक्रिया से संबंधित दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की संबंधित धारा 55 से 58 को अधिसूचित किया है और यह भी सूचित किया है कि यह प्रक्रिया डीआईपीपी द्वारा परिभाषित रूप में स्टार्टअप (साझेदारी फर्म के अलावा) पर लागू होगी। स्टार्टअप के लिए, दिवालिया रिजोल्यूशन प्रक्रिया को 90 दिनों के भीतर और अन्य संस्थाओं के लिए 180 दिनों में पूरा किया जाएगा।

5. स्टार्टअप्स के लिए विभिन्न कर और विनियामक लाभ

- पूंजीगत लाभ पर कर छूट - धारा 54 ईई केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित एक निधि में निवेश किए गए दीर्घकालिक पूंजीगत संपत्ति (एक वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपये से अधिक नहीं) के हस्तांतरण से उत्पन्न पूंजीगत लाभ की छूट प्रदान करती है।
- आयकर छूट: स्थापना के शुरुआती वर्षों में सुगम नकदी प्रवाह को बनाए रखने में स्टार्टअप की सहायता के लिए, भारत सरकार ने वित्त अधिनियम में संशोधन किया ताकि स्टार्टअप को सात वर्ष के ब्लॉक में से लगातार तीन वर्षों के लिए आयकर छूट का लाभ मिल सके। अभी तक, 87 स्टार्टअप्स को आयकर छूट का दावा करने के लिए आईएमबी से अभिनव व्यवसाय का प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ है।
- उचित बाजार मूल्य से ऊपर स्टार्टअप्स में किए गए निवेश पर कर छूट: बुनियादी पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उचित बाजार मूल्य से ऊपर स्टार्टअप्स में किए गए निवेश पर कर छूट। अन्य महत्वपूर्ण विनियामक लाभों के अलावा दिए गए लाभ निम्नानुसार हैं -

    1. एक वित्तीय वर्ष में स्टार्टअप को 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक की बाह्य वाणिज्यिक उधारी बढ़ाने की अनुमति दी गई है।
    2. एक योजना में एजेंल निवेशकों की संख्या की ऊपरी सीमा को 49 से बढ़ाकर 200 कर दिया गया है।
    3. एजेंल निधि को पांच वर्ष के भीतर निगमित स्टार्ट–अप में निवेश की अनुमति दी जाएगी, जो पहले 3 वर्ष थी।
    4. एजेंल निधि द्वारा किसी उद्यम पूंजी उपक्रम में न्यूनतम निवेश राशि को पचास लाख से घटाकर पच्चीस लाख कर दिया गया है।

5. एजेंल निधि द्वारा किसी उद्यम पूंजी उपक्रम में निवेश की अवरुद्धता अवधि को तीन वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर दिया गया है।
6. एजेंल निधि को अन्य एआईएफ के अनुरूप विदेशी उद्यम पूंजी उपक्रम में अपनी निवेश योग्य निधि का 25% तक निवेश करने की अनुमति है।

****